

फर्च अहकाम

नाम न्यायालय - न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

श्री

ना

बनाम

अप्रार्थीगण

रामनारायण व अन्य

संख्या 120/25 (2025/)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

आज्ञा
र्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशय विवरण

225

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शर्मा द्वारा विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया गया। वकील प्रार्थीगण से प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी प्रार्थी के सम्बन्ध में कैवियट प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। अतः कैवियटकर्ता को सुना जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर कैवियट / अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस जारी हो। पत्रावली 26/08/2025 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी

र. लि. नो. 114
जाये

26⁰⁸/₂₅ पत्रावली पेश। वकील पक्षकार
अनुपालित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति

1052
6/8/25

तक बार-बार आवाज हिलारि गई
कोई हाजिर अदालत नहीं आये हैं।

अतः वकील पक्षकार की अनुपालित
में हाजिर नहीं। कदम हाजरी व
अदम पैरवी में खारिज किया गया
है। पत्रावली नम्बर से कम होकर
दाखिल रफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी जिला-जयपुर